

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक: रीडर/पत्रावली स्था./2025/377

दिनांक: 07-04-2025

प्रेषित:

न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
उदयपुर

विषय: पत्रावलियां स्थानांतरित करने के संबंध में।

प्रसंग: न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक: रीडर/पत्रावली स्था./2025/259
दिनांक 17.03.2025 एवं पूर्व पत्रांक 279 दिनांक 18.03.2025 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक: रीडर/पत्रावली स्था./2025 /259 दिनांक: 17.03.2025 की पालना में न्यायालय हाजा में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) एवं राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) 1955 के तहत विचाराधीन प्रकरणों एवं प्राप्त नवीन प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये गये थे। इसी क्रम में न्यायालय हाजा में शेष रही पत्रावलियां अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


क्र.स.	प्र.स.	किस्म	अनवान	तारिख पेशी	वि.वि.
1.	03/24	रसद	सरकार बनाम नवीन प्रकाश	16.04.2025	
2.	30/24	गौवंश	सरकार बनाम प्रकाश गाडोलिया	30.04.2025	

नवीन प्राप्त प्रार्थना पत्र

क्र.स.	प्रस्तुतकर्ता	किस्म	वि.वि.
1.	थानाधिकारी पुलिस थाना, अम्बामाता	रसद	पत्रांक 1317 दिनांक 21.02.2023
2.	थानाधिकारी पुलिस थाना, झाडोल	रसद	पत्रांक 5564 दिनांक 18.06.2022
2.	वजिया पिता प्रभु बंजारा, निवासी: मावली	गौवंश	थानाधिकारी अम्बामाता से संबंधित
3.	जाहिद पुत्र बबू खां निवासी: मन्दसौर, मध्य प्रदेश	गौवंश	थानाधिकारी ऋषभदेव से संबंधित
5.	मोहम्मद असलम पुत्र आबिद शाह निवासी: उज्जैन मध्य प्रदेश	गौवंश	थानाधिकारी सवीना से संबंधित
6.	बदन बंजारा पुत्र दुर्गाशंकर बंजारा निवासी: मावली	गौवंश	थानाधिकारी परसाद से संबंधित

कृपया पावती भिजवाये।


रीडर
न्यायालय अति. जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर
उदयपुर